फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

गौरव व अन्य बनाम प्रभाती/कमला

संख्या - 68/2023

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता० 11 उपस्थित। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 5 ता० 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रा०पत्र 07 R 11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रा०पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रा०पत्र 07 R 11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 07 R 11 CPC, व जवाब प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर आराजी ख०न० 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 कुल 13 कुल रकबा 7.20 हे० जो कि वादीगण के पड़दादा गणेश पुत्र नानगराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी। गणेश का देहान्त होने के पश्चात विरासत नामान्तकरण प्रतिवादी 1 व प्रतिवादी सं. 2 ता० 4 के नाम खोला गया इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता० 4 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। वादीगण द्वारा वाद के पैरा सं. 5 में अंकित किया है कि उक्त कृषि आराजीयात में से ख०न० 74 रकबा 0.01 हे० में कुछ हिस्सा विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 6/3/2006 को प्रतिवादी संख्या 5 ता० 11 को बेचान किया गया है। उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 ता० 11 का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से व अंश पर वादीगण का कोई कब्जा या दखल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा [illegible] हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] किये जाने से वादग्रस्त [illegible] भी खातेदारी अधिकार [illegible] जबकि वादीगण के पिता को वादग्रस्त [illegible] में कोई हक, स्वत्वाधिकार उत्पन्न नहीं हुआ तो वादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार के कोई विधिक हक, अधिकार अर्जित होना सम्भव नहीं है इस कारण वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 ता० 11 के विरुद्ध वाद लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:47 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

गौरव व अन्य बनाम ग्यारसीलाल व अन्य

प्रकरण संख्या– 68/2023

दिनाक	आज्ञा विस्तृत रूप से
	प्रस्तुत हेतु कोई भी वाद कारण उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। वादीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्वाधिकार नहीं होने के कारण उसके जीवनकाल में पुत्र को कोई विधिक अधिकार प्रोद्भुत नहीं होता है तथा वादीगण के पड़दादा का स्वर्गवास भी वादीगण के जन्म से पूर्व हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीगण को कोई कॉपार्सनरी राईट्स उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादी सं. 5 लगा० का प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद (वाके ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत आराजी ख०नं० 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) को खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार कर पेश करें। सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

समक्ष उपखण्ड़ अधिकारी सांगानेर, जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– ..../2023

गौरव व अन्य बनाम ग्यारसी लाल व अन्य

–: अण्डरटेकिंग :–

1	पक्षकारान का नाम, विवरण व पता	गौरव पुत्र श्री राजेश, उम्र 17 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, जरिये नैसगिृक संरक्षक पिता श्री राजेश पुत्र श्री ग्यारसीलाल अंकित पुत्र श्री राजकुमार, उम्र 16 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, जरिये नैसगिृक संरक्षक पिता श्री राजकुमार पुत्र श्री रामजीलाल निवासीगण :– 69, पंचोलियो की ढाणी, केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)
2	पक्षकारान का ई–मेल पता	नहीं है
3	पक्षकार / अधिवक्ता का फोन नम्बर	9414239868
4.	पक्षकार का फोन नम्बर	

यदि उपरोक्त प्रकरण के निगरानीकार / प्रार्थी के पते में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अविलम्ब माननीय न्यायालय को उपलब्ध करवा दी जायेगी।

प्रार्थी / वादी

स्थान :– जयपुर

दिनांक :–

Rajesh
(राजेश)

राजकुमार
(राजकुमार)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:47 IST
Reason: SelfAttested